तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **गोपाल बनाम जसवन्त** **472/2020 (जीसीएमएस नं. 2020/00334)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.09.21	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री ज्ञानेश्वर बाढदार एडवोकेट ने अपना वकालतनामा व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौंमू में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत वाद संख्या 74/2020 के निर्णय दिनांक 09.10.2020 की नकल पेश कर कथन किया है कि पक्षकारान के मध्य आपस में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने के कारण अपीलान्ट द्वारा अपना दावा विड्रो कर लिया है जिस कारण से हस्तगत प्रार्थना पत्र में भी शुरू से ही उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नही हो रहे है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि हस्तगत रिव्यू प्रार्थना पत्र जनवरी 2020 से बहस एडमिशन पर ही विचाराधीन चल रहा है तथा पिछली तारीख पेशी पर भी प्रार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नही हुए है तथा प्रार्थी गोपाल द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौंमू के समक्ष दायर दावा अन्तर्गत धारा 88 एवं धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को भी लोक अदालत की भावना से विड्रो कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र को भी आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। 15/9/2021 (दिनेश कुमार यादव) संभागीय आयुक्त जयपुर	